

कार्यालय  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,  
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : FCA/1575

दिनांक : 18/09/2023

सेवा में

वन मण्डल अधिकारी,  
करनाल ।

विषय: Diversion of 0.0080 ha of forest land for access to private property (Banquet Hall M/s Royal Enclave) on Assandh Sirsa Road (ODR) near Km Stone No. 2 (RHS) at village Khanda Kheri, Tehsil Assandh, Distt. Karnal, Haryana.  
(Online Proposal No. FP/HR/Approach/117521/2020)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन उत्तर दिनांक 22.08.2023 ।

उपरोक्त विषय पर आपको भारत सरकार के पत्र 9-HRB161/2022-CHA दिनांक 29.08.2022 की प्रति संलग्न भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त पत्र द्वारा लगाई गई आपत्ति का स्पष्ट उत्तर पत्र के माध्यम से भेजे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए ।

संलग्न/उपरोक्त ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकुला ।





सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**  
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,  
**Chandigarh**



F. No. 9-HRB161/2022-CHA

Dated: August, 2022

सेवा में,

मोडल ऑफिसर एवं अंप्रमुख्यवन संरक्षक (FC)  
 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
 C- 18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा  
 (cffcpanchkula@gmail.com)

विषय: Diversion of 0.0080 ha of forest land for access to private property (Banquet Hall M/s Royal Enclave) on Assandh Sirsa Road (ODR) near Km Stone No. 2 (RHS) at village Khanda Kheri, Tehsil Assandh, Distt. Karnal, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/117521/2020)

Ref: State Government online Proposal No. क्रमांक प्रशा-डी-तीन/10275/1250 dated 25.07.2022

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त प्रस्ताव की ओर दिलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा - 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.0080 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. इस प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

The amount of CA kept for the first year with respect to length of strips proposed on both sides of Railway line seems insufficient. An elaboration/clarification may be submitted on how the same will be sufficient for making fence and other costs of plantations?

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिसके प्रस्तुत करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

Sd/-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)  
 IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि :

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Karnal, Haryana (dfoknl-hry@nic.in).
2. Sh. Janpal Singh, S/o Sh. Gurdev Singh, Assandh to Sirsa Road (ODR), Village Khanda Kheri, Tehsil Assandh, Distt. Karnal, Haryana- 132039 (janpalsingh000@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh

Date: 29-08-2022 11:36:49